

संगठन ही शक्ति है
छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ

जिला शाखा बिलासपुर (छ.ग.)

ग शासन के आदेश क्र. 1-2/2012/1-9/दि. 26/02/14 के तहत मान्यता प्राप्त एवं छ.ग. उच्च न्यायालय से मान्यता प्राप्त
पंजीयन क्र. 1631/19/1/2001

संरक्षक
श्री डी. पी. पाण्डेय
9826688014

अध्यक्ष
श्री कन्हैया रजक
9770979366

सचिव
श्री भागवत पुव
9926819297

उपाध्यक्ष
श्री धीरज पतेरिया

सहसचिव
श्री जितेन्द्र घडंगी

सोपअध्यक्ष
श्री मोहम्मद नईम

सहसोपअध्यक्ष
श्री सिद्धार्थ बिरोई

संगठन सचिव
श्री सुरेन्द्र पाण्डेय

सहसंगठन सचिव
श्री लक्ष्मीकांत दुबे

प्रचार सचिव
श्री नारायण करयण

नीतिगत प्रवक्ता
श्री संजीव टण्डन

सहसामाज्य प्रवक्ता
श्री मोहम्मद सिराज

सदस्यगण
श्री छन्नूलाल देवांगन
श्री संदीप वीरीकन
श्री कुल्लु कुमार द्विवेदी
श्री राजेन्द्र रजक
श्री अजय मुरंगी
श्री लाल बहादुर करयण
श्री ज्ञानेन्द्र दुबे
श्री मनीष गुप्ता
श्री नरेन्द्र कहर
श्री सुनील देवांगन
श्री सत्येन्द्र राठीर
श्री कौमल सोनी
श्री नारायण पुव
श्री अजय खान
श्री रोहित यादव
श्री सोमेश नायडू
श्री सूर्यकांत देवांगन
श्री महेंद्र देवांगन

महिला प्रतिनिधि
कु. रवेता यादव
श्रीमती रेणु गढ़वाल
कु. सत्या भरकाम
श्रीमती वर्षा वर्मा
श्रीमती नीलकुंवर सिन्हा

नहरवील प्रतिनिधि
श्री लखन राजपूत
श्री दीपक देवांगन
श्री मोहितराम राजपूत
श्री सुबोध पाल
श्री सुखसागर कौशिक
श्री मोहनलाल कंबा
श्री अम्बुज

क्र.

दिनांक

वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समाचार पत्र में दिनांक 18-02-2019
को प्रकाशन कराने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करे।

संलग्न- निविदा


(कन्हैया लाल रजक)

अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ,
जिला- शाखा बिलासपुर (छ0ग0)

अनुसंलग्न-1

1. आमंत्रित किए गए निविदा को किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा।
2. निविदा के लिए समय सीमा दिनांक 26-02-2019 से 15 दिन के भीतर।
3. निविदा को नीचे दिये गये पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट (एडी) अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।

अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ राज्य, न्यायिक कर्मचारी संघ

जिला न्यायालय परिसर, बिलासपुर

पिन कोड 495001

यथा निर्धारित कार्यालय में जमा किया जायेगा।

4. सभी निविदाएँ न्यूज पेपर में प्रकाशित अंतिम तिथि के दोपहर 03:00 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा हो जाना चाहिये।
5. कैंटीन, सायकल स्टैंड एवं फोटोकॉपीयर मशीन संचालन हेतु प्राप्त पृथक-पृथक निविदा को कम से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति पर अगले ही कार्य दिवस पर संघ के अध्यक्ष एवं नियम 2017 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष सभी निविदाकर्ता की उपस्थिति अथवा उसकी ओर से उपस्थित अभिकर्ता की उपस्थिति में निविदा खोली जायेगी।
6. सभी निविदा को खोलने के बाद जो भी उच्चतम बोली (दर) का सफल निविदाकर्ता होगा, की घोषणा पृथक-पृथक किया जायेगा। अधिकृत अधिकारी द्वारा उस निविदाकर्ताओं को कैंटीन, सायकल स्टैंड एवं फोटोकॉपीयर मशीन संचालन की अनुमति अनुबंध के माध्यम से दिया जायेगा। साथ ही शेष निविदाकर्ता जो कि उक्त निविदा में सम्मिलित हुए पर सफल नहीं हुए उनके द्वारा किए गए निविदा की 25 प्रतिशत राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अगले 07 कार्य दिवस के भीतर जल्द से जल्द वापस कर दिया जायेगा।
7. सफल निविदाकर्ता को निविदा की शेष 75 प्रतिशत राशि अगले 07 कार्यदिवस के भीतर डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में जो कि अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी कल्याण समिति, शाखा बिलासपुर के नाम पर होना चाहिए अगर ऐसा करने में उक्त निविदाकर्ता असफल रहा तो उसका आवेदन एवं जमा राशि दोनों ही जब्त कर उसके

बोली को रद्द कर दिया जायेगा। उसे बोली की संपूर्ण राशि जमा 07 कार्य दिवस के भीतर जमा करने के पश्चात् ही उसे कैंटिन, सायकल स्टैंड एवं फोटोकॉपीयर मशीन संचालन हेतु अनुबंधित किया जायेगा तथा तभी उसे कैंटिन, सायकल स्टैंड एवं फोटोकॉपीयर मशीन संचालन की पात्रता होगी।

8. कैंटिन में बेची जानी वाली वस्तुएं बाजार दर से अधिक नहीं होगी। यदि संभव हो तो उसका दर बाजार दर से कम हो, यदि संभव हो तो सभी खाने की वस्तुएं एम0आर0पी0 दर से कम में बेचना होगा। कोई भी वस्तु एम0आर0पी0 दर से अधिक नहीं बेचा जायेगा। खाने की वस्तुओं की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान कैंटिन संचालक द्वारा दिए जाने वाले स्नैक्स पेय पदार्थ अथवा खाद्य पदार्थ होनी चाहिए।
9. कैंटिन संचालक अपने रसोईयों तथा उनके सहायक को साफ एप्रन एवं वर्दी उपलब्ध कराएगा।
10. विद्युत, पानी एवं रखरखाव जो कि जरूरत हो वे सारे शुल्क कैंटीन संचालक द्वारा देय होगा। यह सायकल स्टैंड, फोटोकॉपीयर मशीन संचालक पर भी लागू होगा।
11. कैंटिन, सायकल स्टैंड, फोटोकॉपीयर मशीन संचालक द्वारा लाईसेंस/दो माह का किराया अग्रिम तौर पर संघ के बैंक खाते में जमा करना होगा। यह दर 31 मार्च तक प्रचलित होगा, इसके बाद किराया कैंटिन की निविदा राशि का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ाया जायेगा। कैंटिन संचालक को मासिक किराया हर माह की 10 तारीख तक संघ के बैंक खाते में जमा करना होगा। अगर कैंटिन संचालक नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो संघ द्वारा कैंटिन संचालक को सूचना देते हुए उसके अनुबंध को समाप्त कर सकेगा। यह सायकल स्टैंड, फोटो कॉपीयर मशीन संचालक पर भी लागू होगा।
12. फोटोकॉपीयर मशीन का संचालन माननीय जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा जिला न्यायालय परिसर में उपलब्ध कराये गए स्थान पर सफल निविदाकर्ता द्वारा अपने स्वयं की फोटोकॉपी मशीन संस्थापित करेगा, साथ ही उक्त फोटोकॉपी मशीन को चलाने के लिए ऑपरेटर की नियुक्ति स्वयं करेगा।
13. जिला न्यायालय परिसर में सायकल स्टैंड का संचालन सफल निविदाकर्ता सायकल स्टैंड में खड़े किए गए सायकलों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा साथ ही अगर किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में वह पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा।
14. संघ, सायकल स्टैंड में विभिन्न प्रकार के वाहनों का दर तय करेगा, जो दैनिक/मासिक आधार पर होगा, जिसमें कर्मचारियों/अधिवक्ता/पक्षकार शामिल होंगे।

15. निविदा एक बंद लिफाफे में होगा, लिफाफे के बाहर, अंदर रखे दस्तावेज का विवरण अभिलिखित किया जाना होगा।
16. निविदाएँ जो निर्धारित समायावधि के पश्चात प्राप्त होंगे उन्हें खोला नहीं जायेगा और वापस कर दिया जायेगा। ऐसी निविदाओं को वापस किये जाने का दिन एवं समय की जानकारी मोहरबंद लिफाफे में उल्लेखित होगी।
17. निविदाकर्ताओं को फर्म का पता उल्लेखित करना होगा।
18. कैंटिन हेतु न्यूनतम बोली राशि -10,000/-, सायकल स्टैंड हेतु- 10,000/-रु एवं फोटोकॉपीयर मशीन संचालन हेतु 5,000/-रु की राशि संघ द्वारा निर्धारित की गई है।


08.2.19

अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ,
जिला- शाखा बिलासपुर (छ0ग0)

ANNEXURE-1
FORMAT OF APPLICATION FORM

1. APPLICATION FOR PERMISSION
(1) RUNNING CANTEN IN - District Court/Court Premises
(2) RUNNING PHOTOCOPY MACHINE - District Court/Court Premises
(3) RUNNING CYCLE STAND - District Court/Court Premises

* Strike off which is inapplicable.

2. Name of the Applicant -
3. Full Address -
4. Proof of Identity -

(Self attested photocopy must be attached)

5. Bid Amount of Tender -
(monthly licence fees/rent)

* Please enclose the D.D./Bankers Cheque of 25% of Bid amount as earnest money in favour of President of Zila Nyayik Karmachari Sangh. The earnest money shall be immediately returned after opening of tenders to all applicants except the Successful Bidder.

6. Demand Draft/Bankers Cheque No. and date -
7. Name of Issuing Bank & Branch -

Note- All the columns of Application form shall be duly and neatly filled in by the applicant failing which Application will be rejected. The applicant shall enclose the self attested copy of valid Identity proof and also the earnest money by way of Demand Draft/Bankers Cheque as mentioned above at serial no. 6 and failing which the Application will be rejected.

I, Son/Daughter/Wife of hereby undertake all information submitted above by me is true, and I shall abide by all conditions mentioned in Rules pertaining to giving Canteen, Photocopying, and Cycle Stand in District Courts 2017, and at any point of time if it is observed that I have submitted any false information, or I violate any clause of the above Rules or omitted to act as required, my contract will be cancelled without any prior notice.

Signature

Name

अनुलग्नक-1
आवेदन पत्र का प्रारूप

01. अनुमति के लिए आवेदन
- (01) कैंटिन चलाने हेतु - जिला न्यायालय/ जिला न्यायालय परिसर
- (02) फोटोकॉपी मशीन चलाने हेतु - जिला न्यायालय/ जिला न्यायालय परिसर
- (03) सायकल स्टैंड चलाने हेतु - जिला न्यायालय/ जिला न्यायालय परिसर
- जो लागू न हो उसे हटा दें.
02. आवेदक का नाम :-
03. पूर्ण पता :-
04. पहचान का प्रमाण:- :-
- (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
05. निविदा हेतु बोली राशि :-
- (मासिक लाईसेंस शुल्क एवं किराया)

दृष्टया आवेदन के साथ निविदा की 25 प्रतिशत राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक द्वारा जो कि न्यायिक कर्मचारी कल्याण समिति, शाखा-बिलासपुर के नाम पर देय होगा और साथ ही निविदा खुलने के बाद सफल निविदाकर्ता को छोड़कर शेष सभी निविदाकर्ता को निविदा की राशि जल्द से जल्द वापस कर दी जायेगी।

06. डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रमांक और दिनांक
07. जारीकर्ता बैंक का नाम एवं शाखा:-
08. निविदाकर्ता के द्वारा सभी कालम यथावत एवं साफ तरीके से भरे जाने होंगे अगर कोई भी कमी आवेदन में पाई गई तो उक्त आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। निविदाकर्ता के द्वारा अपना स्वप्रमाणित पहचान पत्र साथ ही निविदा राशि की डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, जैसा कि उपरोक्तानुसार सरल क्र० 06 एवं. 07 में उल्लेखित किया गया है, संलग्न करना होगा यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई गई तो उक्त निविदा निरस्त कर दिया जायेगा।

घोषणा

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नि एतद् सभी उत्तरदायित्व लेता/लेती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी जो निविदा में दी जा रही है सत्य है और मैं हर परिस्थितियों में कंटिन चलाने, फोटोकॉपी मशीन एवं सायकल स्टैंड चलाने हेतु जिला न्यायालय नियम, 2017 में उल्लेखित नियमों का पालन करूंगा/करूंगी एवं किसी भी बिंदु पर अगर यह देखा गया कि मेरे द्वारा कोई गलत जानकारी या उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन या नियमों से संबंधित किसी तथ्य को हटाया गया तो मेरे अनुबंध को बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाये।

हस्ताक्षर -

नाम -

अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ,
जिला शाखा, बिलासपुर, जिला न्यायालय परिसर बिलासपुर (छ0ग0)

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक...../2019

बिलासपुर, दिनांक

फरवरी, 2019

छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा बिलासपुर (छ0ग0) की ओर से जिला न्यायालय परिसर बिलासपुर में कैंटिन, सायकल स्टैंड एवं फोटोकॉपीयर मशीन के संचालन हेतु पंजीकृत संस्थाओं से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र अनुसंलग्न-1 जो जिला न्यायालय के वेबसाईट bilaspur.court@nic.in में अपलोड किया गया है तथा स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अर्थात् दिनांक 25-02-2019 तक कार्यालयीन दिवस में अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य, जिला शाखा, बिलासपुर, स्थान जिला न्यायालय बिलासपुर से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। कैंटिन, सायकल स्टैंड एवं फोटोकॉपीयर मशीन के संचालन हेतु पृथक-पृथक आवेदन देना होगा।

निविदा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि -25-02-2019, समय- शाम-05:00 बजे तक

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 12-03-2019, समय- शाम-05:00 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि 13-03-2019, समय- शाम-04:00 बजे

स्थान- बिलासपुर


अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ,
जिला- शाखा बिलासपुर (छ0ग0)

अनुसंलग्न-1

1. आमंत्रित किए गए निविदा को किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा।
2. निविदा के लिए समय सीमा दिनांक 26-02-2019 से 15 दिन के भीतर।
3. निविदा को नीचे दिये गये पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट (एडी) अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।

अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ राज्य, न्यायिक कर्मचारी संघ

जिला न्यायालय परिसर, बिलासपुर

पिन कोड 495001

यथा निर्धारित कार्यालय में जमा किया जायेगा।

4. सभी निविदाएँ न्यूज पेपर में प्रकाशित अंतिम तिथि के दोपहर 03:00 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा हो जाना चाहिये।
5. कैंटीन, सायकल स्टैंड एवं फोटोकॉपीयर मशीन संचालन हेतु प्राप्त पृथक-पृथक निविदा को कम से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति पर अगले ही कार्य दिवस पर संघ के अध्यक्ष एवं नियम 2017 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष सभी निविदाकर्ता की उपस्थिति अथवा उसकी ओर से उपस्थित अभिकर्ता की उपस्थिति में निविदा खोली जायेगी।
6. सभी निविदा को खोलने के बाद जो भी उच्चतम बोली (दर) का सफल निविदाकर्ता होगा, की घोषणा पृथक-पृथक किया जायेगा। अधिकृत अधिकारी द्वारा उस निविदाकर्ताओं को कैंटीन, सायकल स्टैंड एवं फोटोकॉपीयर मशीन संचालन की अनुमति अनुबंध के माध्यम से दिया जायेगा। साथ ही शेष निविदाकर्ता जो कि उक्त निविदा में सम्मिलित हुए पर सफल नहीं हुए उनके द्वारा किए गए निविदा की 25 प्रतिशत राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अगले 07 कार्य दिवस के भीतर जल्द से जल्द वापस कर दिया जायेगा।
- 7- सफल निविदाकर्ता को निविदा की शेष 75 प्रतिशत राशि अगले 07 कार्यदिवस के भीतर डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में जो कि अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी कल्याण समिति, शाखा बिलासपुर के नाम पर होना चाहिए अगर ऐसा करने में उक्त निविदाकर्ता असफल रहा तो उसका आवेदन एवं जमा राशि दोनों ही जब्त कर उसके

बोली को रद्द कर दिया जायेगा। उसे बोली की संपूर्ण राशि जमा 07 कार्य दिवस के भीतर जमा करने के पश्चात् ही उसे कैंटिन, सायकल स्टैंड एवं फोटोकॉपीयर मशीन संचालन हेतु अनुबंधित किया जायेगा तथा तभी उसे कैंटिन, सायकल स्टैंड एवं फोटोकॉपीयर मशीन संचालन की पात्रता होगी।

8. कैंटिन में बेची जानी वाली वस्तुएं बाजार दर से अधिक नहीं होगी। यदि संभव हो तो उसका दर बाजार दर से कम हो, यदि संभव हो तो सभी खाने की वस्तुएं एम0आर0पी0 दर से कम में बेचना होगा। कोई भी वस्तु एम0आर0पी0 दर से अधिक नहीं बेचा जायेगा। खाने की वस्तुओं की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान कैंटिन संचालक द्वारा दिए जाने वाले स्नैक्स पेय पदार्थ अथवा खाद्य पदार्थ होनी चाहिए।
9. कैंटिन संचालक अपने रसोईयों तथा उनके सहायक को साफ एप्रन एवं वर्दी उपलब्ध कराएगा।
10. विद्युत, पानी एवं रखरखाव जो कि जरूरत हो वे सारे शुल्क कैंटिन संचालक द्वारा देय होगा। यह सायकल स्टैंड, फोटोकॉपीयर मशीन संचालक पर भी लागू होगा।
11. कैंटिन, सायकल स्टैंड, फोटोकॉपीयर मशीन संचालक द्वारा लाईसेंस/दो माह का किराया अग्रिम तौर पर संघ के बैंक खाते में जमा करना होगा। यह दर 31 मार्च तक प्रचलित होगा, इसके बाद किराया कैंटिन की निविदा राशि का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ाया जायेगा। कैंटिन संचालक को मासिक किराया हर माह की 10 तारीख तक संघ के बैंक खाते में जमा करना होगा। अगर कैंटिन संचालक नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो संघ द्वारा कैंटिन संचालक को सूचना देते हुए उसके अनुबंध को समाप्त कर सकेगा। यह सायकल स्टैंड, फोटोकॉपीयर मशीन संचालक पर भी लागू होगा।
12. फोटोकॉपीयर मशीन का संचालन माननीय जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा जिला न्यायालय परिसर में उपलब्ध कराये गए स्थान पर सफल निविदाकर्ता द्वारा अपने स्वयं की फोटोकॉपी मशीन संस्थापित करेगा, साथ ही उक्त फोटोकॉपी मशीन को चलाने के लिए ऑपरेटर की नियुक्ति स्वयं करेगा।
13. जिला न्यायालय परिसर में सायकल स्टैंड का संचालन सफल निविदाकर्ता सायकल स्टैंड में खड़े किए गए सायकलों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा साथ ही अगर किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में वह पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा।
14. संघ, सायकल स्टैंड में विभिन्न प्रकार के वाहनों का दर तय करेगा, जो दैनिक/मासिक आधार पर होगा, जिसमें कर्मचारियों/अधिवक्ता/पक्षकार शामिल होंगे।

15. निविदा एक बंद लिफाफे में होगा, लिफाफे के बाहर, अंदर रखे दस्तावेज का विवरण अभिलिखित किया जाना होगा।
16. निविदाएँ जो निर्धारित समायावधि के पश्चात प्राप्त हों उन्हें खोला नहीं जायेगा और वापस कर दिया जायेगा। ऐसी निविदाओं को वापस किये जाने का दिन एवं समय की जानकारी मोहरबंद लिफाफे में उल्लेखित होगी।
17. निविदाकर्ताओं को फर्म का पता उल्लेखित करना होगा।
18. कैंटिन हेतु न्यूनतम बोली राशि -10,000/-, सायकल स्टैण्ड हेतु- 10,000/-रु एवं फोटोकॉपीयर मशीन संचालन हेतु 5,000/-रु की राशि संघ द्वारा निर्धारित की गई है।


08.02.19

अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ,
जिला- शाखा बिलासपुर (छ0ग0)

ANNEXURE-1

FORMAT OF APPLICATION FORM

1. APPLICATION FOR PERMISSION

(1) RUNNING CANTEEN IN - District Court/Court Premises

(2) RUNNING PHOTOCOPY MACHINE- District Court/Court Premises

(3) RUNNING CYCLE STAND - District Court/Court Premises

* Strike off which is inapplicable.

2. Name of the Applicant -

3. Full Address -

4. Proof of Identity -

(Self attested photocopy must be attached)

5. Bid Amount of Tender -

(monthly licence fees/rent)

* Please enclose the D.D./Bankers Cheque of 25% of Bid amount as earnest money in favour of President of Zila Nyayik Karmachari Sangh. The earnest money shall be immediately returned after opening of tenders to all applicants except the Successful Bidder.

6. Demand Draft/Bankers Cheque No. and date -

7. Name of Issuing Bank & Branch -

Note- All the columns of Application form shall be duly and neatly filled in by the applicant failing which Application will be rejected. The applicant shall enclose the self attested copy of valid Identity proof and also the earnest money by way of Demand Draft/Bankers Cheque as mentioned above at serial no. 6 and 7, failing which the Application will be rejected.

Declaration

I Son/Daughter/Wife of hereby undertake all information submitted above by me is true, and I shall abide by all conditions mentioned in Rules pertaining to giving Canteen, Photocopying, and Cycle Stand in District Courts 2017, and at any point of time if it is observed that I have submitted any false information, or I violate any clause of the above Rules or omitted to act as required, my contract will be cancelled without any prior notice.

Signature

Name

अनुलग्नक-1
आवेदन पत्र का प्रारूप

01. अनुमति के लिए आवेदन
(01) कैंटिन चलाने हेतु - जिला न्यायालय/ जिला न्यायालय परिसर
(02) फोटोकापी मशीन चलाने हेतु - जिला न्यायालय/ जिला न्यायालय परिसर
(03) सायकल स्टैंड चलाने हेतु - जिला न्यायालय/ जिला न्यायालय परिसर
जो लागू न हो उसे हटा दें.
02. आवेदक का नाम :-
03. पूर्ण पता :-
04. पहचान का प्रमाण:- :-
- (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
05. निविदा हेतु बोली राशि :-
- (मासिक लाईसेंस शुल्क एवं किराया)

कृपया आवेदन के साथ निविदा की 25 प्रतिशत राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक द्वारा जो कि न्यायिक कर्मचारी कल्याण समिति, शाखा-बिलासपुर के नाम पर देय होगा और साथ ही निविदा खुलने के बाद सफल निविदाकर्ता को छोड़कर शेष सभी निविदाकर्ता को निविदा की राशि जल्द से जल्द वापस कर दी जायेगी।

06. डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रमांक और दिनांक
07. जारीकर्ता बैंक का नाम एवं शाखा:-
08. निविदाकर्ता के द्वारा सभी कालम यथावत एवं साफ तरीके से भरे जाने होंगे अगर कोई भी कमी आवेदन में पाई गई तो उक्त आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। निविदाकर्ता के द्वारा अपना स्वप्रमाणित पहचान पत्र साथ ही निविदा राशि की डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, जैसा कि उपरोक्तानुसार सरल क्र० 06 एवं, 07 में उल्लेखित किया गया है, संलग्न करना होगा यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई गई तो उक्त निविदा निरस्त कर दिया जायेगा।

घोषणा

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नि एतद् सभी उत्तरदायित्व लेता/लेती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी जो निविदा में दी जा रही है सत्य है और मैं हर परिस्थितियों में कंटेनर चलाने, फोटोकॉपी मशीन एवं सायकल स्टैंड चलाने हेतु जिला न्यायालय नियम, 2017 में उल्लेखित नियमों का पालन करूंगा/करूंगी एवं किसी भी बिंदु पर अगर यह देखा गया कि मेरे द्वारा कोई गलत जानकारी या उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन या नियमों से संबंधित किसी तथ्य को हटाया गया तो मेरे अनुबंध को बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाये।

हस्ताक्षर -

नाम -